कार्यालय कलेक्टर (सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग) रायसेन

(Telephone- 07482-222052 E-mail address- pswrai@nic.in)

रायसेन दिनांक 23.10.2018

// आदेश //

क्रमांक/ 1301 /स.शि./सा.न्याय/ 2018 :- यह है कि नेशनल ट्रस्ट के आदेश क्रमांक/19/VIKAAS/Fund Release/NAT/2017/ 5859 दिनांक 25 अप्रेल 2017, क्रमांक/1/207/Revised Samarth/NAT 2016/6133 दिनांक 01 जून 2017 एवं क्रमांक/ 1/208/Disha Scheme/NAT/2016/6134 दिनांक 01 जून 2017 द्वारा उषा कोमल संस्कृत जनकल्याण सेवा समिति रायसेन को क्रमशः ट्रस्ट की संचालित योजनाओं विकास योजना- 1.95 लाख, समर्थ योजना- 2.90 लाख, दिशा योजना- 1.55 लाख कुल राशि 6.40 लाख का अनुदान स्थापना लागत स्वीकृत हुआ।

नेशनल ट्रस्ट के संयुक्त सचिव के पत्र क्रमांक/D.No./1/253/Corr-RO/NAT/2017 दिनांक 06.11.2017 द्वारा अवगत कराया गया कि नेशनल ट्रस्ट SNAC के प्रतिनिधि श्री पंकज मारू ने अपनी निरीक्षण रिपोर्ट में अवगत कराया कि रायसेन जिले में उषा कोमल संस्था जनकल्याण समिति नाम से केन्द्र अस्तित्व में नहीं है। श्री पंकज मारू को संस्था के संचालक श्री विमलेश शर्मा द्वारा बताया कि संस्था के केन्द्र में बच्चे नहीं है। जिस कारण से श्री मारू द्वारा संस्था की विजिट नहीं की गई। जबकि नेशनल ट्रस्ट द्वारा प्रदाय अनुदान में स्पष्ट प्रावधान है कि संस्था को 01 माह के भीतर सेटअप कास्ट का उपयोग कर राशि व्यय करेगी तथा केन्द्र संचालन करेगे। यदि संस्था द्वारा निर्धारित समय में कार्य प्रारंभ नहीं किया तब वह सेटअप कास्ट की राशि वापिस करेगी। संस्था द्वारा प्रस्तुत ऑडिट रिपोर्ट भी अनाधिकृत व्यक्ति से जारी होना बताया। संस्था के विरूद्ध आवश्यक जाँच करने, सेटअप फण्ड वापिसी व पुलिस केस दर्ज करने हेतु लेख किया गया।

नेशनल ट्रस्ट से प्राप्त शिकायत की जॉच हेतु कार्यालय उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं निःशक्तजन कल्याण विभाग रायसेन के आदेश क्रमांक 7113 दिनांक 17.11.2017 द्वारा जिला पंचायत के लेखाधिकारी श्री मनोज राय एवं श्री विवेक सूर्यवंशी की जॉच दल गठन किया गया। जांच दल द्वारा पाया कि :-

1. श्री इंद्रमाणी दुबे जो कि अधिकृत चार्टेट एकाउन्टेन्ट नहीं है, उनके द्वारा संस्था की रिपोर्ट तैयार कराई गई।
2. नेशनल ट्रस्ट के प्रतिनिधि के भौतिक सत्यापन उपरांत दिनांक 10.11.2017 को नायब तहसीलदार से भौतिक सत्यापन कराकर आर्थिक तंगी के कारण संस्था बंद कर दी गई है। जो मान्य योग्य नहीं है।
3. संस्था द्वारा पुन: चार्टेट एकाउन्टेन्ट श्री सुनील जैन की ऑडिट रिपोर्ट में स्पष्ट उल्लेख है कि उक्त संस्था ने व्यय को सत्यापित नहीं करती है। प्रायः सभी भुगतान नगद दर्शाये गये हैं।
4. राष्ट्रीय न्याय की इन योजनाओं की स्वीकृति की भौतिक सत्यापन रिपोर्ट श्री प्रदीप तिर्की के नाम से है। किन्तु उनके कथनानुसार भौतिक सत्यापन दिनांक 07.02.107 को वह रायसेन में पदस्थ नहीं थे। भौतिक सत्यापन रिपोर्ट फर्जी है।

5. सामाजिक न्याय विभाग में पदस्थ लिपिक श्री सुंदरलाल शिल्पी के कथनानुसार संस्था को सेटअप राशि प्रदान करने संबंधी एवं भौतिक सत्यापन करने संबंधी कोई भी अभिलेख कार्यालय में नही है।

6. संस्था अखण्ड परमधाम समिति रायसेन में श्री विमलेश शर्मा सचिव की हेसियत से पदाधिकारी थे। डे-केयर सेन्टर का संचालन न करने के कारण आदेश क्रमांक/ 152 दिनांक 23.04.2015 द्वारा संस्था की विभागीय मान्यता समाप्त की गई थी।

जॉच दल की रिपोर्ट प्राप्ति उपरांत संस्था के संचालक को कार्यालय कलेक्टर जिला रायसेन के पत्र क्रमांक 242 दिनांक 24.02.2018 से स्पष्टीकरण मय दस्तावेजो, साक्ष्य के साथ चाहा गया। श्री विमलेश शर्मा द्वारा दिनांक 12.03.2018 को अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। उत्तर का परीक्षण किया गया जाकर पाया गया कि :-

- श्री विमलेश शर्मा द्वारा उत्तर में बताया कि नोडल एजेन्सी श्री पंकज मारू द्वारा संस्था का सुल्तानपुर पहुॅचकर निरीक्षण नहीं किया। उनकी रिपोर्ट का झूठी मनगढन्त बताया। श्री मारू के विरुद्ध कमीशन मांगने संबंधी आरोप लगाया है ।
- नेशनल ट्रस्ट के पत्र दिनांक 06.11.2017 में स्पष्ट उल्लेख है कि जब श्री मारू द्वारा विमलेश शर्मा को संस्था में विजिट करने को कहा तो उनके द्वारा बताया कि उनकी संस्था में कोई बच्चे नहीं है। तथा उनको विजिट कराने से मना कर दिया गया। अतः श्री शर्मा का कहना है कि श्री मारू द्वारा विजिट नहीं की गई। सत्य है परंतु विजिट क्यो नहीं करायी गई यह उनके द्वारा नहीं बताया गया।
- संस्था द्वारा नेशनल ट्रस्ट की योजनाओ में लाभ दिलाने हेतु दिनांक 10.01.2017 को सामाजिक न्याय कार्यालय रायसेन प्रस्तुत आवेदन की पावती प्रस्तुत की गई। कार्यालयीन आवक पंजी में आवेदन दर्ज नहीं है।
- संस्था श्री पैट्रीक तिर्की द्वारा संस्था के विजिट के समय के फोटोग्राफ, निरीक्षण पंजी चाही गई। जिसको उपलब्ध कराने में असफल रही। जिससे स्पष्ट होता है कि संस्था द्वारा फर्जी भौतिक सत्यापन की रिपोर्ट तैयार की गई। क्योकि श्री पैट्रिक तिर्की उपसंचालक के पद पर दिनांक 18.03.2016 से 07.09.2016 तक रहे है जबकि भौतिक सत्यापन दिनांक 07.02.2017 का है। तत्समय उपसंचालक का प्रभार श्री सुमन पिल्लई के पास था। तथा श्री तिर्की ने भौतिक सत्यापन पर उनके हस्ताक्षर होने से इंकार किया।
- संस्था से विकास, दिशा एवं समर्थ योजनाओ से संबंधित पृथक-पृथक दस्तावेज स्पष्टीकरण में चाहे गये। जिससे तीन अलग-अलग केन्द्र संचालन की स्थिति ज्ञात की जा सके।
  1. भवन अनुबंध ।
  2. बिजली का बिल ।
  3. स्टॉफ की सेलरी एकाउण्ट, आधार नम्बर आदि ।
  4. दानदाताओं का विवरण, आधार नम्बर आदि ।
  5. योजनावार संचालित बैक खातो की पासबुक की प्रति।

  संस्था द्वारा उपरोक्त कोई दस्तावेज उपलब्ध नहीं कराये गये, इनके स्थान पर मकान की प्रिंटेड किराया रसीद मय बिजली की दी गई है जिसकी प्रमाणिकता स्वयं में संदेहास्पद है।

संस्था द्वारा प्रस्तुत ऑडिट रिपोर्ट में पृथक-पृथक केन्द्रबार व्यय दर्शाया है :-

मद	दिशा योजना	समर्थ योजना	विकास योजना	कुल योग
सैलरी	270000	378000	294000	942000
बिजली बिल	12000	12000	12000	36000
कम्प्यटर	26500	30000	26500	83000
किराया	60000	60000	60000	180000
योग :-	368500	480000	392500	1241000

ऑडिट रिपोर्ट में दर्शित उपरोक्त व्यय से स्पष्ट है कि सभी व्यय प्रमाणिक नही है। क्योकि :-

1. यदि एक ही भवन में केन्द्र संचालित था तब भवन किराया तीनो योजनाओं मे व्यय दर्शाया है। जबकि किराया अनुबंध भी प्रस्तुत नहीं, न ही बैक के माध्यम से भुगतान किया गया।
2. बिजली के बिल भी पृथक- पृथक योजनाओं के प्रस्तुत नहीं है। प्रमाण स्वरूप संस्था/ मकान मालिक के नाम एम.पी.ई.बी. द्वारा जारी बिल प्रस्तुत नहीं। अत: दर्शित व्यय संदेहास्पद है।
3. कर्मचारियों को सैलरी भुगतान का कोई विवरण एकाउन्ट विवरण प्रस्तुत नहीं किया। इसी प्रकार अन्य भुगतान भी संदेहास्पद है, कि किस कर्मचारी को किस दर से किस बैक खाते में भुगतान किया। जबकि सैलरी पर 942000/- रूपये का भुगतान बताया है।
4. संस्था द्वारा कम्प्यूटर क्रय करने संबंध बिल, स्टॉक रजिस्टर आदि प्रस्तुत नहीं किया गया। ओर न ही श्री मारू संस्था निरीक्षण कराया।

इस प्रकार भवन किराया, बिजली बिल का भुगतान नगद बताया है। जो कि संदेहास्पद है। संस्था ऐसा कोई दस्तावेजी प्रमाण देने में असफल है। जिससे पुष्टि की जा सके कि वह वास्तविक रूप से संचालित थी। संस्था द्वारा प्रस्तुत सी.ए. रिपोर्ट भी उल्लेखित है कि नगद राशि का व्यय/ आहरण बताया गया संस्था द्वारा बैक स्टेटमेट प्रस्तुत न करना ही अपने आप में सिद्ध करता है कि संस्था द्वारा फर्जी देयको को लगाकर भुगतान किया दर्शाया है ।

इसी प्रकार संस्था की ऑडिट रिपोर्ट में दान-दाताओं से निम्न आमदनी होना बताया :-

क्रमांक	योजना का नाम	दानदाता का नाम	राशि
1	दिशा योजना	श्री बनवारी लाल	250000
2	समर्थ योजना	श्री जमना प्रसाद	230000
3	विकास योजना	श्री कन्हैया लाल	270000
		योग :-	750000

संस्था संचालक द्वारा अपने उत्तर में दानदाताओं से प्राप्त राशि का बैक विवरण, आधार, पेन कार्ड प्रस्तुत नहीं किया। जिससे दान प्राप्त होने की पुष्टि की जा सके। जिससे आय की प्रमाणिकता संदेहास्पद है।

संस्था संचालक द्वारा अपने बचाव में साक्ष्य प्रस्तुत करने की तुलना में दूसरे व्यकितयों पर आरोप लगाकर अपना पक्ष रखा है। यह कहना कि श्री पंकज मारू नेशनल ट्रस्ट में अशासकीय सदस्य द्वारा व्यक्तिगत रूची लेकर उनकी ऑडिट रिपोर्ट पर आपत्ति लगायी गई उचित नहीं है। तथा ऑडिटर श्री दुबे को लालच या दबाब देकर झूठे कथन देने मजबूर करना आदि , सत्य नहीं है क्योकि जॉच के दौरान श्री इंद्रमणि दुबे ने अपना कथन दिया हे कि वह सर्टिफाइड इंडसट्रियल एकाउण्टेट है। ऑडिट रिपोर्ट जारी करने के लिए वह सक्षम नहीं है। बावजूद संस्था द्वारा गैर अधिकृत सी.ए. की रिपोर्ट नेशनल ट्रस्ट को प्रेषित की गई। तथा अपनी गलतीयो को छिपाने के लिये श्री पंकज मारू पर आरोप लगाये ।

तहसीलदार सुल्तानपुर द्वारा जारी प्रमाण पत्रों का अवलोकन करने पर पाया कि तीनों प्रमाण पत्र क्रमांक 23 दिनांक 10.11.2017 से जावक किए गये है। तथा यह प्रमाण पत्र पटवारी के प्रतिवेदन के आधार पर जारी है जो कि निरीक्षण के लिए समक्ष प्राधिकारी नहीं है। जबकि दिनांक 27.09.2017 को श्री विमलेश शर्मा द्वारा श्री पंकज मारू को अपनी संस्था का विजिट नहीं कराया, संस्था बंद कर दी गई। तब दिनांक 10.11.2017 की स्थिति में तहसीलदार द्वारा जारी प्रमाण- पत्र में संस्था संचालन का पुष्टिकारक प्रमाण नही है।

श्री विमलेश शर्मा संचालक उषा कोमल संस्कृत जनकल्याण सेवा समिति सुल्तानपुर जिला रायसेन द्वारा प्रस्तुत उत्तर के उपरांत उनको व्यकितगत सुनवाई का पूर्ण अवसर प्रदान करते हुए दिनांक 23.07.2018 को सुनवाई की गई। संस्था संचालक अपने पक्ष में ऐसा कोई अभिलेखीय साक्ष्य प्रस्तुत नहीं कर सके। जिससे संदेह से परे यह प्रमाणित हो कि संचालक के द्वारा संस्था को आवंटित सेटअप फण्ड की राशि का उपयोग नेशनल ट्रस्ट की शर्तो के अधीन् किया एवं संस्था संचालित रही।

अत: श्री विमलेश शर्मा संचालक उषा कोमल संस्कृत जनकल्याण सेवा समिति सुल्तानपुर जिला रायसेन को आदेशित किया जाता है कि यह नेशनल ट्रस्ट से प्रदाय विकास योजना- रू. 1.95 लाख, समर्थ योजना- रू. 2.90 लाख, दिशा योजना- रू. 1.55 लाख अनुदान राशि रू 6.40 लाख (छः लाख चालीस हजार मात्र) एक माह के भीतर नेशनल ट्रस्ट को जमा कर, जमा पावती कार्यालय को प्रस्तुत करे। अन्यथा की दशा वसूली योग्य राशि 6.40 लाख भू- राजस्व बकाया बतौर वसूली की कार्यवाही की जावेगी। तथा संचालक व संस्था के विरूद्ध वैधानिक कार्यवाही भी की जावेगी। इसके अतिरिक्त, मुख्य कार्यपालन अधिकारी,जिला पंचायत, रायसेन उक्त प्रकरण में संलिप्त दोषी कर्मचारियों के विरूद्ध अपने स्तर से विभागीय जांच कार्यवाही करे ।

कलेक्टर
जिला- रायसेन

पृ.क्रमांक/ 1302 /नि.नि./सा.न्याय/2018 रायसेन दिनांक 23.10.2018

प्रतिलिपि :-

1. संयुक्त सचिव, नेशनल ट्रस्ट नई दिल्ली की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
2. आयुक्त सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण संचालनालय म.प्र. भोपाल की ओर सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
3. मुख्य कार्यपालन अधिकारी, जिला पंचायत, रायसेन की ओर आवश्यक कार्यवाही हेतु ।
4. उपसंचालक सामाजिक न्याय एवं नि:शक्तजन कल्याण विभाग रायसेन की ओर सूचनार्थ ।
5. जिला समन्वयक जन अभियान परिषद रायसेन की ओर आवश्यक कार्यवाही करने हेतु ।
6. श्री विमलेश शर्मा, अशासकीय संस्था उषा कोमल संस्कृति जनकल्याण समिति रायसेन की ओर सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

कलेक्टर
जिला- रायसेन